

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चमोली।
संख्या 182 ल0सिं0/स्था0/स्थाना0 /2018-2019 दिनांक जून 8, 2018
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 12/XXXVI(3)/20(1)/2017 देहरादून, 05 जनवरी 2018 में निहित प्राविधानों के अनुरूप जो कि वर्तमान में लागू है, के क्रम में स्थायी स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन उपरान्त निम्न अनुसेवक को उनकी वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में दर्शाये गये कार्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0सं0	अनुसेवक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनीयम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री कुम्दानन्द पुरोहित	लघु सिंचाई उपखण्ड, चमोली	लघु सिंचाई उपखण्ड, थराली	धारा-17(1)(क)

2. स्थानान्तरित अनुसेवक को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से अपने नये तैनाती स्थान पर कार्यमुक्त करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा।

3. स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण/संसोधन/स्थगन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्रेषित न किये जायें। स्थानान्तरण आदेश का उल्लंघन करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 एवं उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(दीपांकर भारती)

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
चमोली।

पत्रांक 182 / ल0सिं0 / स्था0 / स्थानान्तरण / 2018-2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सम्बन्धित कार्मिक।
- 2- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, चमोली/थराली।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, चमोली।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, पौड़ी।
- 5- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- आदेश कट फाइल।
- 7- व्यक्तिगत पत्रावली।

(दीपांकर भारती)

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
चमोली।